

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 745/2024

अनवान : -

1. लेखराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/10/2024


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स० 20/24 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लेखु पुत्र बीरबल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम लेखराम पुत्र बीरबल है। राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में भिन्नता के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लेखु के स्थान पर लेखराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लेखु पुत्र बीरबल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम लेखराम पुत्र बीरबल है। राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में भिन्नता के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लेखु के स्थान पर लेखराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का नाम लेखु के स्थान पर लेखराम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स० 20/24 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम लेखराम है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण  अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स० 20/24 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम लेखु के स्थान पर

लेखराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच या लेखू के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम लेखू ही लागू होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 745/2024

अनवान : -

1. लेखराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्


1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 745 सन 2024 निर्णय दिनांक - 14/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 20/24 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम लेखु के स्थान पर लेखराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच या लेखू के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम लेखू ही लागु होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर